

विविध बैंक प्रकरण संख्या 17/2020 (RCMS 2020/00063) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नई कृषि मंडी, श्रीगंगानगर जरिये श्री जसबीर सिंह मील, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, गीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरी सिंह 2 श्रीमती माया देवी पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी मकान नं. 12, गणपति नगर, गली नं 02, श्रीगंगानगर

16.03.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 02.03.2020 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण अनिल कुमार को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 17.08.2012 को 36.00/- लाख, दिनांक 04.05.2013 को 9.00/- लाख एवं दिनांक 17.09.2014 को 4.00 लाख इसप्रकार कुल 49.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये उन्नचास लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, जिसकी गारंटर माया देवी है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनिल कुमार की अचल सम्पत्ति मकान नं. 9, (क्षेत्रफल 26' गुणा 65') गली नं. 02, गणपति नगर, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 20.07.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.07.2019 को 41,44,901/- रुपये (खाता संख्या 194000NC00052619 में 31,40,693/- खाता संख्या 1940009900000392 में 9,31,810/- एवं खाता संख्या 194000NB00000167 में 72,398/-) ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

एडी नोटिस दिनांक 20.07.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस भेजने की रसीद एवं पावती के ऑन लाईन ट्रेक कन्साईन्मेंट के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी अनिल कुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पत्ति मकान नं. 9, (क्षेत्रफल 26' गुणा 65') गली नं. 02, गणपति नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

**मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी अनिल कुमार को 17.08.2012 को 36.00/- लाख, दिनांक 04.05.2013 को 9.00/- लाख एवं दिनांक 17.09.2014 को 4.00 लाख इसप्रकार कुल 49.00/- लाख रूपये (अखरे रूपये उन्नचास लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति उक्तानुसार प्रदान की थी। जिसकी गारंटर श्रीमती माया देवी है।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनिल कुमार की उक्त अचल सम्पत्ति मकान नं. 9, (क्षेत्रफल 26' गुणा 65') गली नं. 02, गणपति नगर, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **20.07.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.07.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद एवं धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति का ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पेश की हुई है,** जो पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** मकान नं. 9, (क्षेत्रफल 26' गुणा 65') गली नं. 02, गणपति नगर, श्रीगंगानगर जो **ऋणी अनिल कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है**, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.07.2019 की तामील का प्रश्न है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.07.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण अनिल कुमार एवं माया देवी को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है, परिणास्वरूप नोटिस भिजवाने की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। ऋणियों अनिल कुमार एवं माया देवी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति की ऑनलाईन ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अनिल कुमार की अचल सम्पत्ति मकान नं. 9, (क्षेत्रफल 26' गुणा 65') गली नं. 02, गणपति नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी अनिल कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं. 9, (क्षेत्रफल 26' गुणा 65') गली नं. 02, गणपति नगर, श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर